



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 11.09.2026

- थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध देशी शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- अभियुक्त के कब्जे से कुल 495 क्वार्टर अवैध देशी शराब (कीमत लगभग ₹40,000/-) को किया गया बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे और अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 11.09.2026 को थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त वीरेन्द्र प्रताप उर्फ शालू भदौरिया पुत्र स्व० संतोष सिंह भदौरिया निवासी उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम मनेथू थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात को उसके घर ग्राम मनेथू थाना क्षेत्र गजनेर से कुल 495 क्वार्टर (11 पेटी) मार्का ट्रेटा पैक ब्राण्ड इण्डियन टाइगर देशी शराब (कीमत लगभग ₹40,000/-) के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना गजनेर पर मु०अ०सं० 0227/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम वीरेन्द्र प्रताप उर्फ शालू भदौरिया उपरोक्त पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. वीरेन्द्र प्रताप उर्फ शालू भदौरिया उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व० संतोष सिंह भदौरिया निवासी ग्राम मनेथू थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
- बरामदगी-**

1. 495 अवैध देशी शराब (11 पेटी से कीमत लगभग ₹ 40,000/-)

पूछताछ विवरण- अभियुक्त से बरामद देशी शराब रखने का लाइसेंस तलब करते हुये पूछताछ की गयी तो लाइसेंस दिखाने से कासिर रहा तथा उसके द्वारा बताया कि यह देशी शराब के क्वार्टर में देशी शराब के ठेके कानपुर नगर से लाता हूँ और मैं अपने घर की दुकान से बेचता हूँ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु०अ०सं० 0227/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गजनेर कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना गजनेर पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सनत कुमार
2. उ०नि० श्री अभिषेक सिंह चौहान
3. का० 429 ब्रजेश